



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेंट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-13.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अनिल यादव को नाजायज चाकू रखने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 700/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0063/2007 धारा- 4/ 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल यादव पुत्र नन्द लाल यादव निवासी के-41/12 हौज कटोरा थाना चौक जनपद वाराणसी को थाना चौक पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 13.02.2024 को मा0 न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजि0 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त अनिल यादव उपरोक्त को धारा-4/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 700/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
जोन-काशी कमिश्नरेंट-  
वाराणसी